न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 49/14

1. छोटू शाह पुत्र मोहम्मद शाह (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1/1 – 1/2. अशफाक, रसूल मोहम्मद पुत्रान छोटू शाह
1/3. वहिदन बाई पत्नी स्व. छोटू शाह
1/4 – 1/5. अकीला, रसीदन पुत्रियां छोटू शाह
जाति फकीर मुसलमान, निवासीगण सुल्तानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. ख्वाजू शाह पुत्र मोहम्मद शाह, जाति फकीर
3–4. हुसैन शाह, कलाम पुत्र बशीर शाह, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. कालू पुत्र रमजानी शाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6–9. निसार, सत्तार, जाकिर, रफीक पुत्रान पीरूशाह
10–12. पीरूशाह, इमाम शाह, बाबूशाह पुत्रान कालूशाह, जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
13. सुबराती शाह पुत्र लटूर शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
14. सोहिल पुत्र अलानूर शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल, जयपुर जरिये चेयरमेन, वक्फ बोर्ड, जयपुर

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(A), 188 राज.टी.एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
एवं धारा 11 सीपीसी

दिनांक : 16.03.2020

उपस्थिति : श्री मोहम्मद युनुस, अभिभाषक वादीगण
श्री अब्दुल सलाम खान, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

1- वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92(ए), 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- वादीगण के पूर्वज अमीरशाह पहुंचे हुये फकीर थे जिनकी मृत्यु उपरान्त ग्राम मोरपा में दरगाह बनाई गई और उस दरगाह के नाम ग्राम मोरपा, कैथोडी, रसूलपुर और डाहरा में चरागबत्ती व दरगाह की व्यवस्था हेतु डोहली निकाली गई जिसका रखरखाव अमीरशाह के वारिसान करते आ रहे है। इन वारिसान तथा दरगाह का खर्चा उक्त आराजी की आमदनी से ही होता है।

Scanned by CamScanner

- संवत 2016–24 में ग्राम डाहरा की डोहली आराजी खसरा नम्बर 122, 123, 124, संवत 2011–14 में ग्राम कैथोडी की डोहली आराजी खसरा नम्बर 109, संवत 2012–14 में ग्राम रसूलपुर खेडा मे 32 बीघा 1 बिस्वा जमीन माफीदार जमाल वल्द नन्नेशाह 1/2, कालू, लटूर, छोट्या, ख्वाजू पिसरान मोहम्मद शाह 1/2 बांट बराबर दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार चारों गांवों की माफी की जमीन 70 बीघा 17 बिस्वा भूमि महकमा खास द्वारा बहुक्म माल सदर 29.02.1908 को बाबत खदमत चिरागवत्ती दरगाह अमीरजीरजी बिराजमान मोरपा, दिनांक 01.02.1932 को इंतकाल नं. 127 का अमल दरामद किया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादी ने मिलीभगत कर अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसका उनको कोई हक नहीं होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है।
- उक्त आराजी वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में ग्राम डाहरा के खसरा नम्बर 327, 328, 333 रकबा 1.25 हैक्टर, ग्राम कैथोडी के खसरा नम्बर 226 रकबा 0.98 हैक्टर, ग्राम रसूलपुर के खसरा नम्बर 390, 393, 394, 395 रकबा 4.56 हैक्टर, ग्राम मोरपा के खसरा नम्बर 202, 203, 204 रकबा 4.04 के रूप में दर्ज है। उपरोक्त आराजी पर रियासत के समय दाखिल खारिज के बाद से अमीर पीर जी के वारिसान (वादीगण) का कब्जा चला आ रहा है। और माफी रिज्यूम होने के बाद बतौर खादिमदार उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है, जिसको रद्दोबदल करने का सेटलमेन्ट अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि सेटलमेन्ट सिर्फ पुराने रिकार्ड को यथावत रख सकते है किन्तु न तो वे नाम परिवर्तन कर सकते है और न ही रकबा कमी बेशी कर सकते है, जब तक कि किसी कोम्पीटेन्ट कोर्ट का आदेश पारित नहीं हो। प्रतिवादी नम्बर–2 का नाम दर्ज किया जो प्रभावशून्य है।
- राज्य सरकार द्वारा भी गजट नोटिफिकेशन क्रमांक प.क.3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 जारी किया हुआ है कि जो भूमियां माफी रिज्यूम होने से पूर्व खादिमदारों, माफीदारान या चौकीदारान के नाम दर्ज थी, उन्हें पूर्ववत उनके नाम वापस दर्ज किया जावे। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद भी तहसीलदार ने उक्त आदेशों की पालना कर इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की। अतः राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये विवादित आराजी से प्रतिवादी नं. 2 का नाम हटाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे।
- वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में ग्राम डाहरा, कैथोडी, मोरपा, रसूलपुर की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

A- नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070, ग्राम रसूलपुर, ग्राम कैथोडी
B- नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069, ग्राम मोरपा
C- नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072, ग्राम डाहरा
D- नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070, ग्राम रसूलपुर
E- नकल जमाबन्दी संवत 2012–2015 एवं 2016–2024, ग्राम मोरपा
F- मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057, ग्राम मोरपा
G- नकल जमाबन्दी संवत 2011–2014 एवं 2016–2024, ग्राम डाहरा
H- मिलान क्षैत्रफल संवत 2016–2024 एवं 2038–2057, ग्राम मोरपा
I- मिलान क्षैत्रफल संवत 2015–2024, ग्राम कैथोडी
J- नकल जमाबन्दी संवत 2011–2014 एवं 2015–2024, ग्राम कैथोडी
K- राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.क.3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007
L- राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र क्रमांक 636–689 दिनांक 06.01.2010 की फोटोप्रति।

Scanned by CamScanner

3- दौराने वाद, प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र पेश किये गये –

- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC में पेश कर निवेदन किया गया कि वादी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त वाद अप्रार्थी नं. 2 के खिलाफ पेश करने से पूर्व अप्रार्थी नं. 2 को दो माह का कानूनी नोटिस वक्फ अधिनियम की धारा 89 वक्फ अधिनियम 1995 के तहत नहीं दिया गया है जबकि अप्रार्थी नं. 2 के खिलाफ कानूनी कार्यवाही से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। मात्र अप्रार्थी नं. 1 को ही नोटिस जारी किया गया है जबकि विवादित भूमि अप्रार्थी नं. 2 के खाते दर्ज है। अप्रार्थी नं. 2 को नोटिस के अभाव में उक्त वाद अप्रार्थी नं. 2 के खिलाफ चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है।
- वाद में विचारणीय सम्पत्तियां वक्फ सम्पत्तियां है जो राज. वक्फ गजट नोटिफिकेशन 1965 के क्रम सं. 233, 321, 322, 323 पर दर्ज है। वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित विवादों का श्रवण वक्फ प्राधिकरण, जयपुर में किया जाता है। पूर्व में भी इनमें से कुछ वक्फ सम्पत्तियों का विवाद इसी माननीय न्यायालय में पेश हुआ था, जिसके मुकदमा नम्बर 121/96 को दिनांक 20.03.1997 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। इस फैसले की अपील वादीगण द्वारा किसी भी उच्चतर न्यायालय में नहीं की गई है। चूंकि वक्फ बोर्ड, जयपुर ही प्रकरण की विवादित आराजी का खातेदार है जिससे उक्त वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वाद खारिज का प्रकरण का निस्तारण करावें। प्रतिवादी की ओर से माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–1 (उत्तर), कोटा के प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 20.02.2017 की नकल तथा न्यायिक दृष्टान्त RLR 2000(3) Page 330-34 एवं 2013(3) DNJ (Raj.) Page 1219-1221 पेश किये गये।
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 - CPC में पेश कर निवेदन किया गया कि इस वादपत्र में वर्णित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में वादीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा इसी माननीय न्यायालय में सन् 1995 में मुकदमा नम्बर 256/95 पेश किया गया था। इसमें विवादित सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड की मानते हुये निर्णय दिनांक 20.03.1997 से दावा खारिज किया जा चुका है, जिसकी अपील वादीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं की गई थी। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। ऐसी परिस्थिति में विचारणीय वाद पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने से वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

4- वादीगण (अप्रार्थीगण) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC का जवाब पेश कर निवेदन किया कि –

- उक्त आराजी माफी पीर जी की है, जिसको चिरागबत्ती करने वाले वादीगण के परिवार को बिना बुलाये सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी नम्बर–2 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जिसको दर्ज करने का सेटलमेन्ट अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसलिये राज्य सरकार के अधीन यह कार्य हुआ है और इसीलिये राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रेषित किया गया है जो कि कानूनन आवश्यक है। राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड है और जिसकी नियुक्तियां भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है और जब राज्य सरकार को प्रथम पक्षकार बनाया गया है इसलिये पृथक से वक्फ अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।
- इसके अतिरिक्त बिन्दुओं पर बहस के दौरान निवेदन किये जाने कथन करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Scanned by CamScanner

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O_7R_{11} CPC एवं धारा 11 की बहस सुनी गई –

- प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम–2) अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्रों के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि द्वारा उक्त वाद अप्रार्थी नं. 2 के खिलाफ पेश करने से पूर्व अप्रार्थी नं. 2 को दो माह का कानूनी नोटिस वक्फ अधिनियम की धारा 89 वक्फ अधिनियम 1995 के तहत नहीं दिया गया जिससे उक्त वाद खारिज होने योग्य है। प्रकरण की विवादित आराजीयात वक्फ सम्पत्तियां है तथा वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित विवादों का श्रवण वक्फ प्राधिकरण, जयपुर में किया जाता है। पूर्व में भी इनमें से कुछ वक्फ सम्पत्तियों का विवाद इसी माननीय न्यायालय में पेश हुआ था, जिसके मुकदमा नम्बर 121/96 को निर्णय दिनांक 20.03.1997 से माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। वादीगण द्वारा इस फैसले की अपील किसी भी उच्चतर न्यायालय में नहीं की गई है। चूंकि वक्फ बोर्ड, जयपुर ही प्रकरण की विवादित आराजी का खातेदार है जिससे उक्त वाद का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वाद खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करावें। इस प्रकरण से सम्बन्धित विषय पर वादीगण द्वारा पूर्व में पेश प्रकरण का निर्णय हो चुका है। पूर्व में निर्णित प्रकरण के पक्षकारान तथा दावे की विषयवस्तु समान होने पर वाद पूर्व–न्याय के सिद्धान्त अनुसार वाद वाद पेश करना वर्जित है जिससे यह वाद पूर्व–न्याय के सिद्वान्त से बाधित होने के कारण भी खारिज होने योग्य है।
- अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार प्रथम पक्षकार है जिसे धारा 80 सीपीसी का नोटिस दे दिया गया है। चूंकि विवादित आराजी के विरूद्ध एक पक्षकार को नोटिस दिया जा चुका है तो अन्य खातेदार पक्षकार को अलग से नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण द्वारा अपना वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92(A), 188 बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये पेश किया गया है क्योंकि विवादित आराजी पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम ही दर्ज रेकार्ड थी, जिसे सेटलमेन्ट विभाग ने त्रुटिपूर्ण तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दिया है जबकि सेटलमेन्ट विभाग को सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्व के किसी भी इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण अपने पूर्वजों की ही भांति आज भी उपरोक्त विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है क्योंकि उक्त आराजियात ही वादीगण की आय का एकमात्र साधन है। अतः राजस्व आराजी से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से यह वाद इसी न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। इसी प्रकार वादीगण की ओर से पूर्व में केवल एक गांव की आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के लिये अपना वाद पेश किया गया था जबकि प्रस्तुत वाद चार विभिन्न गावों की आराजी से सम्बन्धित है। इन गांवो की आराजीयात के खसरा नम्बर भी पहले से भिन्न है। इस प्रकार वादीगण का वाद रेसज्यूडीकेटा से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत O_7R_{11} CPC एवं धारा 11 खारिज फरमाया जाकर वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस उपरान्त अप्रार्थी की ओर से अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 (3) D.N.J. (Raj.) 1219 - 1221 तथा नकल प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 20.02.2017 की नकल पेश की गई।

Scanned by CamScanner

6- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन अध्ययन किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी की ओर से निम्न दो substantial question उठाये गये है –

- ***आदेश 7 नियम 11 सीपीसी*** के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित दशाओं में वादपत्र को नामंजूर किया जा सकता है –
  (क) – जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं हो रहा हो।
  (ख) – दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो।
  (ग) – वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया हो।
  (घ) – वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो।
  (ङ) – वाद दो प्रतियों में पेश न किया हो
  (च) – नियम 9 के उपबन्धों की पालना नहीं की गई हो।

- ***सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11*** के अनुसार पूर्व न्याय (Res Judicata) का सिद्धान्त लागू किया गया है। The doctrine of **Res Judicata** has been defined in Section 11 of the **Civil Procedure Code**. The doctrine of the **Res Judicata** means the matter is already judged. It means that no court will have the power to try any fresh suit or issues which has been already settled in the former **suit based on same issue between the same parties**. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूर्व-निर्णय एक ऐसा निर्देश है जो भावी निर्णय का आधार हो सकता है। यह एक उपाय है जिसका निरन्तर उपयोग किया जाता है और जो विधि में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व-निर्णय का प्रवर्तन न्यायिक विनिश्चियों की शुद्धता की विधिक धारणा पर आधारित है। एक बार विनिश्चित मामला सदैव के लिए विनिश्चित माना जाता है। किसी निर्णय में जो बात कही जाती है वह स्थापित सच्चाई होती है। जब तक किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी विनिश्चिय को पलट नहीं दिया जाता, तब तक पूर्व-निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके विषय में कोई आपत्ति हो, तो उच्चतर न्यायालय में अपील दायर करके उसे विनिश्चित कराया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा उनके पूर्वजों के नाम व कब्जे काश्त की आराजी, जो दौराने सेटलमेन्ट वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दी गई, की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर उक्त आराजी पर खातेदारी चाही गई है। इसके लिये वादीगण की ओर से शासन उप सचिव, (राजस्व ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4–3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2010 की प्रति पेश की गई है।वादी की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त 2013 (3) D.N.J. (Raj.) 1219 - 1221 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत में उठाई आपत्तियों को साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद अधिनिर्णित किये जा **सकने** का उल्लेख है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के सम्बन्ध में वादीगण का कथन भी था कि प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों का उल्लेख अपने जवाब दावा में भी किया जा सकता था ताकि प्रकरण की तनकीयात कायम की जाकर तथा पक्षकारान के साक्ष्य आदि ली जाकर बहस उपरान्त प्रकरण का निर्णय किया जा सके। उपरोक्त कथन का, प्रस्तुत (इस) प्रकरण के सम्बन्ध में मनन करने पर हम पाते है कि प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वाद के श्रवणाधिकार का बिन्दु तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी के अनुसार यह प्रकरण पूर्व–न्याय (Res-Judicata) के सिद्धान्त से बाधित है। उपरोक्त दोनों

Scanned by CamScanner

बिन्दु कानूनी है। कानूनी बिन्दु से बाधित कोई वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा इसके अतिरिक्त प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 20.02.2017 की नकल पेश की गई है। उक्त आदेश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447 के अन्तर्गत दिया गया है। Criminal Cases के निर्णय, राजस्व प्रकरणों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी क्रम–2 ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम बिन्दु तो यह उठाया कि वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्रकरणों में वक्फ बोर्ड को दो माह का नोटिस दिया जाना चाहिये था जो वादीगण द्वारा नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र और बहस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि विवादित आराजी का भू–धारी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार है जिसे नियमानुसार दो माह का नोटिस दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को पृथक से नोटिस दिया जाना ना तो आवश्यक है और ना ही न्यायसंगत है। चूंकि विवादित आराजी वक्फ सम्पत्ति है और वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित विवादों के मामलों को सुनने का अधिकार वक्फ बोर्ड को ही है। फलस्वरूप श्रवणाधिकार के अभाव में उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे। इस सम्बन्ध में हम देखते है कि वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिये न्यायालय हाजा में अपना दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण ने, विवादित आराजी को अपने पूर्वजों के नाम दर्ज होने के आधार पर, राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रम–2 का नाम हटाये जाकर अपना दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है। इसके लिये सर्वप्रथम तो यह निर्धारित करना होगा कि क्या विवादित आराजी वक्फ सम्पत्ति है ? इस सम्बन्ध में प्रतिवादी की ओर से कोटा जिले की वक्फ सम्पत्तियों की सूची तथा वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने सम्बन्धी आदेशों की फोटोप्रतियां पेश की गई है। प्रतिवादी की ओर से पेश वक्फ सम्पत्तियों की सूची के क्रम संख्या 233, 321, 322 एवं 323 पर विवादित आराजीयात दर्ज है। प्रकरण में वादीगण का अपने पक्ष में यह तर्क रहा है कि सेटलमेन्ट ने त्रुटिपूर्ण तरीके से विवादित आराजी को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अवलोकन से पाया कि प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(4)राज/7/देव/87 दिनांक 19.12.1992 एवं शासन सचिव, देवस्थान एवं वक्फ विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(11)देव/97 दिनांक 21.03.2000 से वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये है। प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प.4(4)वक्फ/2009 दिनांक 24.01.2011 से जिला कलक्टर को वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के निर्देश जारी किये गये तथा उक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्टर, कोटा द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.2(8)/राजस्व–II/11/709–19 दिनांक 09.02.2011 से जिले के उपखण्ड अधिकारियों व तहसीलदारों को जिले में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने बाबत निदेश जारी किये गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी को राज्य सरकार के विभागीय आदेशानुसार ही वक्फ बोर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। विवादित आराजी के राजस्व अभिलेखों की इन्द्राज दुरूस्ती के सम्बन्ध में इस न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रकरण संख्या 256/95 के निर्णय दिनांक 20.03.1997 में उल्लेखित है कि गजट नोटिफिकेशन दिनांक 15.02.1997 वक्फ एक्ट 1995 की धारा 6 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है तथा यह

Scanned by CamScanner

सम्पत्ति वक्फ की नामान्तरकरण से साबित है। इस प्रकार वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार वक्फ बोर्ड को होने से वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित है, फलस्वरूप **आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज होने योग्य है।** प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया कि **वादीगण द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में भी वाद पेश किया गया था, जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था** इसलिये वादीगण का वाद, पूर्व–न्याय के सिद्धान्तानुसार खारिज किया जावे। ज्ञातव्य है कि पूर्व न्याय (रेसज्यूडीकेटा) समान पक्षकारों के मध्य विवादित समान प्रकृति के प्रकरण पर लागू होगा। जिस प्रकृति के प्रकरण का पूर्व में निर्णय हो चुका है उसका उसी स्तर के न्यायालय में पुनः परीक्षण नहीं किया जायेगा। हॉ, यह जरूर है कि यदि कोई पक्षकार उस पूर्व निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उच्चतर न्यायालय में अपील अवश्य कर सकता है। पूर्व में निर्णित किसी प्रकरण पर की गई अपील को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है अर्थात रेसज्यूडीकेटा में अपील करने की मनाही नहीं है। अदम हाजरी, अदम पैरवी, अदम तकमील के आधार पर हुआ निर्णय भी पूर्व–न्याय के सिद्धान्त से बाधित नहीं है। In Hope Plantations Ltd. v. Taluk Land Board, Peermade & Anr., (1999) 5 SCC 590, this Court has explained the scope of finality of the judgment of this Court observing that "One important consideration of public policy is that the decision pronounced by courts of competent jurisdiction should be final, unless they are modified or reversed by the appellate authority and other principle that no one should be made to face the same kind of litigation twice ever because such a procedure should be contrary to consideration of fair play and justice. Rule of res judicata prevents the parties to a judicial determination from litigating the same question over again even though the determination may even be demonstratedly wrong. When the proceedings have attained finality, parties are bound by the judgment and are estopped from questioning it." सीधे अर्थो में हम यह कह सकते हैं कि उन्ही पक्षकारो के बिच किसी विवाद विषय.वस्तु का कोई निष्पादन योग्य निर्णय हो जाने के बाद उन्ही पक्षकारो के बिच उसी विवाद बाबत नये वाद के विचारण को रोकना हैं। पहले वाद में उन्ही पक्षकारो के बिच निर्णय - अगले वाद में बंधनकारी होगा, अगर पश्चावर्ती वाद में उठए गये मुद्दे वही हो - पूर्व न्याय का सिद्धांत लागु होगा (2000(1)DNJ(Raj.) 245)। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार वादीगण अथवा उनके पूर्वजों की ओर से समान प्रकृति का एक पूर्व वाद संख्या 256/95 पेश हुआ था, जो दिनांक 20.03.1997 को निर्णित हो चुका था। उक्त प्रकरण भी वर्तमान प्रकरण की विषयवस्तु से ही सम्बन्धित था। उक्त निर्णय के उपरान्त वादीगण द्वारा किसी भी उच्चतर न्यायालय में अपील पेश नहीं की गई। वादी अभिभाषक ने अपनी बहस अथवा दस्तावेज के माध्यम से अपील किया जाना प्रकट भी नहीं किया है। इस पर वादीगण के अभिभाषक ने आपत्ति की थी, कि पूर्व में एक गांव की आराजी के लिये दावा पेश किया गया था जो खारिज हुआ था जबकि वर्तमान प्रकरण चार गावों की आराजी से सम्बन्धित है इसलिये इस प्रकरण पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हम पाते है कि पूर्व प्रकरण धारा 188 के अन्तर्गत पेश किया गया था, जो भी इसी आधार पर पेश किया गया था कि उनके पूर्वज विवादित आराजी पर चिराग बत्ती किया करते थे तथा आराजी पूर्वजों क नाम दर्ज थी जो वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज कर दी है। वर्तमान प्रकरण भी इसी विवादित मुद्दे के आधार पर

Scanned by CamScanner

पेश किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु व प्रकृति समान है तथा समान आधार पर ही इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है। पूर्व प्रकरण संख्या 256/95 के निर्णय की कोई अपील भी नहीं की गई है। अतः वक्फ अधिनियम 1955 की धारा 85 के तहत वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद को श्रवण करने का अधिकार वक्फ बोर्ड, जयपुर को है फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत पूर्व–न्याय (Res Judicata) से बाधित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया व टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

ChotuShah.Sarkar.11CPC

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1. छोटू शाह पुत्र मोहम्मद शाह (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
1/1–2. अशफाक, रसूल मोहम्मद पुत्रान छोटू शाह
1/3. वहिदन बाई पत्नी स्व. छोटू शाह
1/4–5. अकीला, रसीदन पुत्रियां छोटू शाह
जाति फकीर मुसलमान, निवासीगण सुल्तानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. ख्वाजू शाह पुत्र मोहम्मद शाह, जाति फकीर
3–4. हुसैन शाह, कलाम पुत्र बशीर शाह, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. कालू पुत्र रमजानी शाह, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, कोटा
6–9. निसार, सत्तार, जाकिर, रफीक पुत्रान पीरूशाह
10–12. पीरूशाह, इमाम शाह, बाबूशाह पुत्रान कालूशाह, जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोरपा, कोटा
13. सुबराती शाह पुत्र लटूर शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी ग्राम मोरपा, जिला कोटा
14. सोहिल पुत्र अलानूर शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी ग्राम मोरपा, तह. लाडपुरा, कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ हवामहल, जयपुर जरिये चेयरमेन, वक्फ बोर्ड, जयपुर

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92(A), 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 49 / 14 RCMS id : 2014 / 00187
निर्णय दिनांक : 16-03-2020

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री मोहम्मद युनुस एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री अब्दुल सलाम खान की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 16–03–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष पेश होने पर वक्फ अधिनियम 1955 की धारा 85 के तहत वक्फ सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद को श्रवण करने का अधिकार वक्फ बोर्ड, जयपुर को है फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में धारा 11 सीपीसी के अन्तर्गत पूर्व–न्याय (Res Judicata) से बाधित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। – खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16 मार्च, 2020 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

ChotuShah.Sarkar.11CPC

Scanned by CamScanner